बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी

कार्यालय ज्ञाप

उत्तर प्रदेश शासन के अत्यन्त महत्वपूर्ण पत्र संख्या 853/सत्तर–3–2020–08(20)/2020 दिनांक 19.03.2020 जो कोविड–19 के प्रसार की रोकथाम हेतु सोशल डिस्टेन्सिंग एवं अन्य उपाय लागू करने हेतु उठाये जाने वाले कदम के सम्बन्ध दिये गये निर्देशों के कम में माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार विश्वविद्यालय परिसर/ सम्बद्ध महाविद्यालयों/ संस्थानों हेतु दिनांक 20.03.2020 से 02.04.2020 तक के लिये माननीय कुलपति जी के निर्देशानुसार पत्र संख्या बु.वि./प्रशा./2020/6401 दिनांक 20.03.2020 द्वारा विभिन्न सात विन्दुओं पर निर्देश जारी किये जा चुके हैं।

उपर्युक्त कम में माननीय प्रधानमंत्री, भारत सरकार द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने हेतु 21 दिवसीय लॉकडाउन हेतु आदेश दिया गया है जो दिनांक 14 अप्रैल 2020 तक प्रभावी है। अतः माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार विश्वविद्यालय दिनांक 14 अप्रैल 2020 तक बन्द रहेगा। परन्तु विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत पत्र संख्या बु.वि./प्रशा./2020/6401 दिनांक 20.03.2020 में दिये गये निर्देश अक्षरशः प्रभावी रहेंगे।

(नारायण प्रसाद)
कुलसचिव

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी

पत्रांकः– बु.वि./प्रशा./2020/ 6413 दिनांकः– 01.04.2020

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. समस्त संकायाध्यक्ष, /विभागाध्यक्ष/ पाठ्यकम समन्वयक।
2. समस्त प्राचार्य सम्बद्ध/सहयुक्त महाविद्यालय।
3. वित्त अधिकारी।
4. परीक्षा नियंत्रक।
5. सुरक्षा प्रभारी।
6. समस्त वार्डन महिला/ पुरूष छात्रावास।
7. डा. दीपक तोमर– सिस्टम एनालिस्ट को इस आशय से प्रेषित कि उपर्युक्त कार्यालय ज्ञाप को विश्वविद्यालय की वेबसाइट एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों की लोगिन आई डी पर प्रदर्शित करें।
8. सहायक अभियंता/ अवर अभियंता (विद्युत)/ अवर अभियंता (सिविल)।
9. समस्त सहायक कुलसचिव/ अनुभाग अधिकारी।
10. माननीय कुलपति जी के निजी सचिव।
11. कुलसचिव के आशुलिपिक।
12. आदेश पत्रावली।

1-4-2020
कुलसचिव

Scanned with CamScanner

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी

कार्यालय ज्ञाप

उत्तर प्रदेश शासन के अत्यन्त महत्वपूर्ण पत्र संख्या 853 / सत्तर–3–2020–08(20) / 2020 दिनांक 19.03.2020 जो कोविड–19 के प्रसार की रोकथाम हेतु सोशल डिस्टेन्सिंग एवं अन्य उपाय लागू करने हेतु उठाये जाने वाले कदम के सम्बन्ध दिये गये निर्देशों के कम में माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार विश्वविद्यालय परिसर / सम्बद्ध महाविद्यालयों / संस्थानों हेतु दिनांक 20.03.2020 से 02.04.2020 तक के लिये निम्नवत आदेश पारित किये जाते हैं–

1. उक्त अवधि में समस्त शिक्षण कार्य एवं परीक्षाएं स्थगित रहेंगीं।
2. शैक्षणिक विभागों के शिक्षक विभाग के छात्र–छात्राओं को यथा सम्भव ऑनलाइन शिक्षण–प्रशिक्षण कार्य करायेंगे तथा शिक्षण सामग्री वेबसाईट पर उपलब्ध करायेंगे। सभी शिक्षक अपने को पठन–पाठन, शोध तथा अन्य अकादमिक कार्यों में व्यस्त रखेंगे।
3. विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालय / संस्थान, जहॉ तक सम्भव हो, कर्मचारियों से घर से कार्य कराने की अनुमति प्रदान करेंगें।
4. विश्वविद्यालय की आवश्यक सेवाएँ यथावत संचालित होंगीं। अति आवश्यक सेवाओं से सम्बन्धित अधिकारी एवं कर्मचारी आवश्यक सुरक्षा उपायों के साथ आवश्यकतानुसार उपस्थित रह सकेंगे। शेष सभी कार्मिक अपने निर्धारित दायित्वों का निर्वहन घर से कार्य करने (Work from Home) की पद्धति से सम्पन्न करेंगे तथा अपने कार्य सम्पादन आदि से सम्बन्धित अधिकारी को सूचित करते रहेंगे।
5. समस्त कार्मिक कार्यालयीय सुविधा को दृष्टिगत रखते हुये WhatsApp/Email से जुड़े रहेंगे तथा सभी के मोबाइल फोन अनिवार्य रूप से ऑन रहेंगे।
6. समस्त कार्मिकों की उपस्थिति इलेक्ट्रोनिक माध्यम से स्वीकार की जायेगी।
7. समस्त अधिकारी / शिक्षक / कर्मचारीगण उक्त अवधि में पूर्वानुमति लिये बिना मुख्यालय से बाहर नहीं जायेंगे।

उपर्युक्त आदेशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किये जाए।

(नारायण प्रसाद)
कुलसचिव

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झॉसी

पत्रांकः– बु.वि. / प्रशा. / 2020 / 6401 दिनांकः– 20.03.2020

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. समस्त संकायाध्यक्ष, / विभागाध्यक्ष / पाठ्यकम समन्वयक।
2. समस्त प्राचार्य सम्बद्ध / सहयुक्त महाविद्यालय।
3. वित्त अधिकारी।
4. परीक्षा नियंत्रक।
5. सुरक्षा प्रभारी।
6. समस्त वार्डन महिला / पुरूष छात्रावास।
7. डा. दीपक तोमर– सिस्टम एनालिस्ट को इस आशय से प्रेषित कि उपर्युक्त कार्यालय ज्ञाप को विश्वविद्यालय की वेबसाइट एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों की लोगिन आई डी पर प्रदर्शित करें।
8. सहायक अभियंता / अवर अभियंता (विद्युत) / अवर अभियंता (सिविल)।
9. समस्त सहायक कुलसचिव / अनुभाग अधिकारी।
10. माननीय कुलपति जी के निजी सचिव।
11. कुलसचिव के आशुलिपिक।
12. आदेश पत्रावली।

20.3.2020
कुलसचिव

अत्यन्त महत्पवूर्ण

संख्याः– 853/सत्तर–3–2020–08(20)/2020

प्रेषक,

मोनिका एस. गर्ग,
प्रमुख सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. **निदेशक,**
   उच्च शिक्षा,
   उ0प्र0, प्रयागराज
2. **कुलपति,**
   समस्त निजी विश्वविद्यालय,
   उत्तर प्रदेश।
3. **कुलसचिव,**
   समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
   उत्तर प्रदेश।
4. **समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी,**
   उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग–3 **लखनऊ : दिनांक 19 मार्च, 2020**

विषयः– कोविड–19 के प्रसार की रोकथाम हेतु सोशल डिस्टेन्सिंग एवं अन्य उपाय लागू करने हेतु उठाये जाने वाले कदम।

महोदय,

आप अवगत हैं कि सोशल डिस्टेन्सिंग एक गैर फार्मास्युटिकल संक्रमण निवारण एवं नियंत्रण इंटरवेंशन है जो संक्रमित लोगों एवं गैर संक्रमित लोगों के मध्य सम्पर्क को कम करके समाज में बीमारी के प्रसार को रोकने/कम करने में सहायक है। इस उपाय को अपनाकर किसी बीमारी की वृद्धि की दर (Morbidity) एवं इससे होने वाली मृत्यु दर (Mortality) को कम किया जा सकता है।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कोविड–19 बीमारी की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु सोशल स्टैण्डिंग के उपाय को अपनाने हेतु निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें :–

(1) सभी उच्च शिक्षण संस्थायें 02 अप्रैल, 2020 तक बन्द रहेंगे।

(2) उत्तर प्रदेश सरकार के अन्तर्गत आने वाले सभी विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों की परीक्षायें एवं समस्त प्रतियोगी परीक्षायें दिनांक 02 अप्रैल, 2020 तक स्थगित रहेंगी।

(3) विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों द्वारा 02 अप्रैल, 2020 से पूर्व की निरस्त परीक्षाओं का पुनः आयोजन करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाय कि परीक्षा परिणाम पूर्व से निर्धारित शैक्षिक पंचाग के अनुसार घोषित हों तथा नया शैक्षिक सत्र पूर्व में निर्धारित शैक्षिक पंचाग के अनुसार ही प्रारम्भ किया जा सके।

(4) छात्रों को घर में रहने का परामर्श दिया जाय एवं ऑनलाइन शैक्षणिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाय।

(5) अपरिहार्य कार्य को सम्पादित करने के लिए विश्वविद्यालय के कुलपति/कुलसचिव/डीन/विभागाध्यक्ष/परीक्षा नियंत्रक तथा महाविद्यालयों के उच्च अधिकारियों द्वारा सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारी को यथावश्यकता बुलाया जा सकता है, परन्तु ऐसी स्थिति में उनके द्वारा सैनेटाइजेशन प्रोटोकॉल का अनिवार्य रूप से पालन किया जाना आवश्यक होगा।

R.O. Rai Sir p.c

Scanned with CamScanner

(6) ऐसे शिक्षक/कार्मिक जिनकी आयु अधिक है या गर्भवती महिला कर्मचारी या ऐसे कार्मिक जो ऐसी बीमारी से ग्रसित हो, जो उनकी प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर करता हो, के द्वारा विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। ऐसे शिक्षक/कर्मचारियों से विशेष अनुरोध कर लिया जाय कि वह स्वयं अपना अधिक ध्यान रखें और सुरक्षा उपायों का कड़ाई से अनुपालन करें। ऐसे शिक्षकों/कार्मिकों को ऐसे स्थानों पर कतई न रखा जाय जहां पर अधिक जनसम्पर्क होता हों। यथासम्भव दिनांक 02.04.2020 तक इन्हे संख्या में न बुलाया जाय।

(7) यदि ऐसे शिक्षक/कर्मचारी को कोरोना वाइरस (कोविड–19) से प्रभावित होने के कोई लक्षण प्रथम दृष्टया परिलक्षित होते है, तो वह अनिवार्य रूप से अपनी जांच स्वयं करा लें और बचाव की समुचित कार्यवाही स्व स्तर से करना सुनिश्चित करें।

(8) यदि किसी शिक्षक/कार्मिक को ऐसे लक्षण परिलक्षित होते है और वह अपने आप को अलग–थलग रखने के उद्देश्य से अवकाश लेना चाहते है, तो उन्हें अवकाश अवश्य प्रदान कर दिया जाय।

(9) जहां तक सम्भव हो सके बैठकों, सेमिनार, संगोष्ठी, कान्फ्रेन्स तथा खेल प्रतियोगिता से बचा जाय यदि आवश्यक हों तो सीमित संख्या में आवश्यक व्यक्तियों को ही बैठक में बुलाया जाय।

(10) विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में ऐसे सभी स्थान जहां पर हाथ का स्पर्श होता है, यथा–कुर्सी, मेज, दरवाजे, हैण्डल, अलमारी की सतहों, टेलीफोन रिसीवर, लिफ्ट के बटन, प्रसाधन कक्षों के नल/फासिट, सीढ़ियों की रेलिंग इत्यादि को नियमित रूप से सैनिटाईज करने की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाय।

(11) विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के अन्दर जितने भी कैंटीन संचालित हो रहे है, वहां पर भी लिक्विड सोप/सेनेटाईजर की व्यवस्था कैंटीन के प्रबन्धक द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

(12) नोवेल कोरोना वाइरस (कोविड–19) से बचाव के लिए सुरक्षात्मक उपाय के बारे में जो एडवाईजरी निर्गत की गयी है उसके बारे में विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के समस्त भवनों में बैनर/पोस्टर लगवाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।

(13) उच्च शिक्षा विभाग में शासन स्तर पर वाहट्सएप ग्रुप **stateuniversityexam2020** संचालित है। अतः आवश्यक सूचनाओं की जानकारी हेतु इस वाहट्सएप ग्रुप को देखते रहे ताकि शासन के सूचनाओं की अद्यतन स्थिति से भिज्ञ रहे।

(14) भारत सरकार के चिकित्सा एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की सरकारी वेबसाइट **URL:mohfw.gov.in/DraftGuidelinesforhomequarantine.pdf** तथा उत्तर प्रदेश सरकार की चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की सरकारी वेबसाइट **www.dgmhup-covid19.in** में वर्णित कोरोना के संक्रमण से बचने और उसके फैलाव को रोकने के बारे में वर्णित सुरक्षा उपायों से विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के सभी कार्मिक/छात्र भिज्ञ हो लें और सभी को इसके बचाव हेतु संवेदनशील भी करें। इन वेबसाइट का नियमित अवलोकन कर अद्यतन निर्देशों व जानकारी से स्वयं को भी अद्यतन रखा जाय।

भवदीय,

19/3

(मोनिका एस. गर्ग)
प्रमुख सचिव।

संख्या–: 853(1) /सत्तर–3–2020, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ0प्र0 शासन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से

(श्रवण कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

R.O. Rai Sir p.c

Scanned with CamScanner